[2020] 14 एससीआर 480

प्रदीप कुमार सोंथालिया

बनाम

धीरज प्रसाद साहू उर्फ़ धीरज साहू और अन्य.

(सिविल अपील संख्या 611/2020)

18 दिसंबर 2020

[न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति]

भारतीय संविधान – अनुच्छेद 191, 193, 190, 188 और 80(4) – झारखंड राज्य से राज्य सभा की दो सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव – अपीलकर्ता और दो अन्य ने नामांकन दाखिल किया – विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य ने दिनांक 23.03.18 को प्रातः 9.15 बजे विजयी उम्मीदवारों में से एक के पक्ष में अपना वोट डाला - उसी दिन दोपहर में उसे एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया और सजा से दण्डित किया गया – उसे अंतर्गत अनुच्छेद 191(1)(ई) सपठित धारा 8(3) अधिनियम 1951 निरर्हता झेलनी पड़ी – अपीलकर्ता को 2599 मूल्य के वोट मिले, और अन्य दो उम्मीदवारों को 2601 मूल्य के वोट और 2600 मूल्य के वोट मिले और – रिटर्निंग अधिकारी से उक्त दोषी निर्वाचित सदस्य द्वारा डाले गए वोट को अवैध घोषित करने का अनुरोध करते हुए आपत्ति दर्ज की गई – अस्वीकार कर दिया – अपीलकर्ता को पराजित घोषित किया गया तथा अन्य दो उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया – अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका दाखिल कर यह घोषित करने की प्रार्थना की कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शून्य मत को अनुचित तरीके से स्वीकार किया है – उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - अपील पर, अभिनिर्धारित : यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधान सभा का कोई सदस्य दोषी ठहराए जाने से पहले ही निरर्ह हो गया था, दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के उसके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन होगा – इस प्रकार, ऐसे सदस्य द्वारा दिनांक 23.03.18 को प्रातः 9:15 बजे डाला गया वोट सही मायने में वैध वोट माना गया – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951- धारा 8 और 152 - निर्वाचन संचालन नियम, 1961 - 2(डी) पढ़ें – वैधता का सिद्धांत – वस्तुत सिद्धांत – बीमा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 – धारा 8 – निर्वचन ।

शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ – धारा 8(3), अधिनियम 1951 में “तारीख” – अभिनिर्धारित: धारा (3) में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति “तारीख” का निर्वचन अनुच्छेद 191(1) के तहत निरर्हता की घटनाओं में से किसी एक के घटित होने की तारीख की निर्वचन पर असर डालेगी – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ – धारा ८(३) – भारत का संविधान – अनुच्छेद 191.

अपीलों का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1 संविधान का अनुच्छेद 191 उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को निरर्ह माना जाएगा बी (i) या तो राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने के कारण (ii) या होने के कारण। अनुच्छेद 191 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि यह चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने के बाद पद पर बने रहने, दोनों को आच्छादित करता है। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होते हुए भी निरर्हता घोषित हो जाता है तो उसकी सीट रिक्त हो जाती है। इस स्थिति का समाधान अनुच्छेद 190 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 191(1)(ई) सपठित धारा 8(3) के तहत निरर्हता का कारण बनने वाली घटना किसी व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट अपराध के लिए दोषी ठहराना है। ऐसी निरर्हता का परिणाम यह होता है कि सीट रिक्त हो जाती है। अत: स्पष्ट है कि विधान सभा का कोई सदस्य जो निरर्ह हो गया है और जिसकी सीट रिक्त हो गई है, वह अनुच्छेद 80(4) के तहत अपने राज्य से प्रतिनिधि चुनने के लिए अपना वोट डालने का हकदार नहीं है, जिसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि “निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे”। उनका नाम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 152 के अंतर्गत राज्य विधान सभा के सदस्यों की सूची से हटाया जा सकता है। वह विधानसभा सदस्य द्वारा चुनाव के संबंध में निर्वाचक नहीं रह जाता है और अपना वोट नहीं डाल सकता है। [पैरा 11-13][492-जीएच; 493-एएच; 494-एएफ]

1.2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडलों के सदन/सदनों के लिए चुनाव कराने, उन सदनों की सदस्यता के लिए अहर्ताएं और निरर्हताएं, भ्रष्ट आचरण आदि के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता से संबंधित है। निरर्हता के प्रयोजन के लिए, अपराधों को धारा 8 में तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान मामला धारा 8 की उपधारा (3) से संबंधित है, क्योंकि अमित कुमार महतो को ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था जो न तो उपधारा (1) के अंतर्गत आते हैं और न ही उपधारा (2) के अंतर्गत आते हैं। 1951 के अधिनियम 43 की धारा 8 के तहत निरर्हता संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) से संबंधित है। अत:, धारा 8 की कोई

भी निर्वचन संवैधानिक योजना के अनुरूप होनी चाहिए। [पैरा 14, 16 और 17][494-एफएच; 495-बीई]

1.3 अधिनियम की धारा 8(3) निरर्हता की शर्तों और निरर्हता की अवधि दोनों से संबंधित है। जहां तक निरर्हता की अवधि का प्रश्न है, धारा 8(3) व्यापक है क्योंकि यह अवधि के प्रारंभ और समाप्ति दोनों को इंगित करती है। दोषसिद्धि की तारीख को निरर्हता का प्रारंभ बिंदु माना गया है तथा रिहाई के बाद छह वर्ष की अवधि पूरी होने की तारीख को निरर्हता की अवधि की समाप्ति बिंदु माना गया है। एक बार जब निरर्हता की अवधि शुरू हो जाती है, तो निरर्ह व्यक्ति द्वारा अब तक धारित सीट संविधान के अनुच्छेद 190(3) के आधार पर रिक्त हो जाती है। निरर्ह व्यक्ति की सीट रिक्त होने के बारे में बताते हुए, अनुच्छेद 190(3) में "तत्पश्चात" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। "ऐसी दोषसिद्धि की तारीख" शब्दों का निर्वचन करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 8(3) में उल्लिखित वाक्यांश की निर्वचन करते समय एक मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकृति के मामलों में न्यायालय मौलिक अधिकार या सामान्य कानूनी अधिकार से निपट नहीं रहा है। [पैरा 18-20][495-एफएच; 496-एएफ]

सरिता एस नायर बनाम हिबी ईडन एसएलपी (सी) संख्या 10678/2020 में सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 08.12.2020 का निर्णय; ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल (1982) 1 एससीसी 691:[1982] 3 एससीआर 318 – पर भरोसा किया गया।

2.1 यहां तक कि आपराधिक विधि में भी, (i) किसी व्यक्ति द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि की गणना करते समय "तारीख" अभिव्यक्ति की दी जाने वाली व्याख्या और (ii) अपील/निगरानी दाखिल करने के लिए अवधि सीमा की गणना करते समय उसी अभिव्यक्ति की दी जाने वाली व्याख्या के बीच एक बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे कारावास की सजा सुनाई जाती है तथा दिनांक 23.03.2018 को उसे हिरासत में भी लिया जाता है, तो 23 मार्च का पूरा दिन कारावास की कुल अवधि में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत, अपील दाखिल करने की समय-सीमा की गणना के लिए 23 मार्च का दिन बाहर रखा जाएगा। हालाँकि एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों निर्वचन व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए हैं। निरर्हता कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है और निरर्हता का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण को रोकना है। लेकिन इस मामले में धारा 8(3) के तहत निरर्हता का कारण दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए एक आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि थी। अत:, धारा 8(3) में उल्लिखित

वाक्यांश “दोषसिद्धि की तारीख” का निर्वचन उस दंडात्मक प्रावधान के संबंध में की जानी चाहिए जिसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। [पैरा 30, 32, 33][499-जीएच; 500-सीडी]

2.2 यह नियम कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, संवैधानिक विधि का एक दीर्घकालिक सिद्धांत है और इसे केवल सामान्य शब्दों के प्रयोग से समाप्त नहीं किया जा सकता। विधि में इसे वैधता का सिद्धांत कहा जाता है और यह वर्तमान मामले पर स्पष्ट रूप से लागू होता है। यह अभिनिर्धारित है कि विधान सभा का कोई सदस्य दोषी ठहराए जाने से पहले ही निरर्ह हो गया है, उसके उस मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन होगा जिसके तहत उसे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा। वर्तमान मामले में, यह जोड़ना महत्वपूर्ण होगा कि विधि के सामान्य नियम के साथ "तारीख" शब्द के उपयोग में असंगत घोषणा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि "तारीख" शब्द पूरे दिन के बजाय उस समय को इंगित करने में सक्षम है जब घटना घटित हुई थी। हालांकि यह ज्ञात है कि दोषमुक्ति मूलतः आधार पर लागू होती है, लेकिन इस बात के लिए कोई मामला नहीं बताया गया है कि दोषसिद्धि स्वयं से एक मिनट पहले भी प्रभावी होती है। इसके अलावा, शब्द “तारीख” का उपयोग अवसर, समय, वर्ष आदि को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग वर्तमान तक के समय को दर्शाने के लिए भी किया जाता है जब इसका प्रयोग "दो तिथियाँ" वाक्यांश में किया जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि शब्द “तारीख” का प्रयोग किसी समय बिंदु आदि को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। यह कहना कि निर्दोषता की यह धारणा रात्रि 00.01 बजे से ही समाप्त हो जाएगी, यद्यपि दोषसिद्धि अपराह्न 14.30 बजे ही हो गई थी, आपराधिक न्यायशास्त्र के सबसे मौलिक सिद्धांत की जड़ पर ही प्रहार होगा। चूँकि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि दंडात्मक विधि के अंतर्गत होती है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि उसका प्रभाव दोषसिद्धि से पूर्व के किसी समय से है। [पैरा 34-39][500-डीएच; 501-एएच; 502-एबी]

रोजेट्स इंटरनेशनल थिसॉरस तृतीय संस्करण नोट 114.4 - संदर्भित किया गया।

3. बीमा कानून के अंतर्गत उत्पन्न मामलों का निरर्हता के मामलों से कोई संबंध नहीं है। बीमा पॉलिसी संविदा के दायरे में आती है। अतः, ऐसे संविदा की शर्तों का निर्वचन काफी हद तक पक्षों की मंशा पर निर्भर करेगी, जिसमें एक निश्चित सीमा तक उस पक्ष के पक्ष में छूट होगी जिसकी सौदेबाजी की शक्ति अन्य संविदाकारी पक्ष के बराबर नहीं है। बीमा संविदा में प्रयुक्त शब्द “तारीख” की दी गई निर्वचन को अपनाना संभव नहीं है। [पैरा 41, 42][502-डीएच; 503-एडी]

4. अधिनियम की धारा 8(3) के अंतर्गत उत्पन्न निरर्हता, आपराधिक न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंड का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, दोषसिद्धि कारण है और निरर्हता परिणाम है। परिणाम कभी भी कारण से पहले नहीं हो सकता। [पैरा 43][503-सीई]

5. अनुच्छेद 193 उस गलती करने वाले सदस्य पर लगाए जाने वाले दंड से संबंधित है जो विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है (i) या तो अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले; (ii) या जब वह जानता है कि वह सदस्यता के लिए अर्हता नहीं है; (iii) या जब वह जानता है कि वह सदस्य होने से निरर्ह है; (iv) या जब वह जानता है कि किसी विधि द्वारा उसे बैठने या मतदान करने से रोका गया है। ऐसी निरर्हता जिसके लिए अनुच्छेद 193 के तहत दंड निर्धारित है, वह अनुच्छेद 193 में निर्धारित दंड के अलावा, सदस्यता के साथ मिलने वाले विशेषाधिकारों से वंचित करने जैसे व्यावहारिक परिणामों को भी आमंत्रित करती है। एक बार किसी व्यक्ति को निरर्ह घोषित कर दिया जाए तो वह सदस्य नहीं रह जाता है तथा उसकी सदस्यता के साथ-साथ उसका वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। यह किसी व्यक्ति के सदस्य न रहने का स्वाभाविक परिणाम है और यह परिणाम स्वतः होता है तथा अनुच्छेद 193 पर निर्भर नहीं होता है। अतः, अनुच्छेद 193 को इस सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि दंड के प्रावधान के कारण किसी सदस्य की निरर्हता के स्वाभाविक परिणाम भी लागू न हों। अनुच्छेद 193 के अंतर्गत दंड के दायित्व के विपरीत है, निर्वाचित सदस्य द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं माना जाएगा, लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। उनमें से एक मामला अनुच्छेद 188 के उल्लंघन वाले मामलों को छोड़कर, वर्तमान मामले जैसा हो सकता है। [पैरा 47, 48 और 53][504-सीजी; 506-डीई]

6. अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक प्राधिकार के दायरे में, जनता या तीसरे पक्ष के हित में तथा अपने स्वयं के लाभ के लिए नहीं, किए गए वस्तुत कार्यों को सामान्यतः वैध और बाध्यकारी माना जाता है, जैसे कि वे अधिकारियों द्वारा विधितः किए गए कृत्य हों। वस्तुत सिद्धांत अच्छी समझ, ठोस नीति और व्यावहारिक समीचीनता पर आधारित है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी रिष्टि की रोकथाम और सार्वजनिक और निजी हितों की सुरक्षा करना है। [पैरा 55][506-जी; 507-एबी]

6. यह मानना संभव नहीं है कि श्री अमित कुमार महतो द्वारा दिनांक 23.03.2018 को प्रातः 9:15 बजे डाला गया वोट उसी दिन अपराह्न 2:30 बजे आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा सुनाए जाने के कारण अवैध माना जाए। यह निष्कर्ष तर्क की एक अन्य प्रक्रिया के माध्यम से भी निकाला जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 191(1) निरर्हता के पांच अलग-अलग आधारों से संबंधित है। वे (i) प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट लाभ का पद धारण करते हैं; (ii) मानसिक विकृति, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; (iii) अनुमोदित दिवालियापन; (iv) भारत की नागरिकता का अभाव या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना आदि; और (v) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निरर्हता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) में उल्लिखित "तारीख" पद की व्याख्या, निरर्हता की उपरोक्त घटनाओं में से किसी एक के घटित होने की तारीख की निर्वचन पर प्रभाव डालेगी। यद्यपि इस मामले में अपीलकर्ता के लिए धारा 8(3) में प्रदर्शित “तारीख” की निर्वचन अनुच्छेद 191(1)(ई) के संदर्भ में करना सुविधाजनक हो सकता है, यह परिशीलन करना होगा कि क्या यह अनुच्छेद 191(1) की योजना में पूरी तरह से फिट बैठता है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (डी) में से प्रत्येक के विरूद्ध परीक्षण किया जाए तो पाया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई निर्वचन टिक नहीं पाएगी। श्री अमित कुमार महतो द्वारा दिनांक 23.03.2018 को प्रातः 9:15 बजे डाला गया वोट वैध वोट माना गया। अतः, सिविल अपील संख्या 611/2020 को खारिज किया जाता है। सिविल अपील संख्या 2159/2020 स्वीकार की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए इशू संख्या 2, 3 और 5 पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को अपास्त कर दिया गया है। [पैरा 58-62] [508-बीएच; 509-एबी]

पशुपति नाथ सिंह बनाम हरिहर प्रसाद सिंह एआईआर 1968 एससी 1064:[1968] एससीआर 812; प्रभु दयाल सेसमा बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान (1986) 4 एससीसी 59: [1986] 3 एससीआर 665; तरुण प्रसाद चटर्जी बनाम दीनानाथ शर्मा (2000) 8 एससीसी 649 : [2000] 3 पूरक एससीआर 634; बीआर कपूर बनाम स्टेट ऑफ़ टीएन एवं अन्य (2001) 7 एससीसी 231 : [2001] 3 पूरक एससीआर 191; न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राम दयाल एवं अन्य (1990) 2 एससीसी 680: [1990] 2 एससीआर 570; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जिजूभाई नाथूजी डाभी और अन्य। (1997) 1 एससीसी 66 : [1996] 8 पूरक। एससीआर 929; स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश बनाम पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान एवं विकास एवं अन्य द्वारा केंद्र (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 687 - लागू नहीं माना गया।

यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम मेसर्स जीएस चठा राइस मिल्स (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 770; गोकाराजू रंगाराजू बनाम स्टेट ऑफ़ आंध्र प्रदेश (1981) 3 एससीसी 132: [1981] 3 एससीआर 474; पुष्पादेवी एम. जटिया बनाम एमएल वधावन, अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार और अन्य (1987) 3 एससीसी 367: [1987] 3 एससीआर 46 - पर विश्वास किया गया।

के प्रभाकरण बनाम पी जयराजा, (2005) 1 एससीसी 754: [2005] 1 एससीआर 296; पशुपति नाथ सुकुल बनाम नेम चंद्र जैन (1984) 2 एससीसी 404: [1984] 1 एससीआर 939 - प्रतिष्ठित किया गया।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम भगवती देवी (1998) 6 एससीसी 534 – संदर्भित किया गया ।

पियर्सन बनाम गृह विभाग के राज्य सचिव (1997) 3 ऑल ईआर 577; के-जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम लिकर लाइसेंसिंग कोर्ट, (2009) 83 एएलजेआर 327; इन रे एफबी वॉरेन (1938) 2 ऑल ईआर 331; पुलिन बिहारी दास एवं अन्य बनाम किंग एम्परर (1912) 15 कैल.एलजे 517 - संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णयज विधि

[1982] 3 एससीआर 318	पर विश्वास किया गया	पैरा 20
[1968] एससीआर 812	लागू नहीं माना गया	पैरा 21
[1986] 3 एससीआर 665	लागू नहीं माना गया	पैरा 27 जी
[2000] 3 पूरक एससीआर 634	लागू नहीं माना गया	पैरा 28

[2001] 3 पूरक एससीआर 191	लागू नहीं माना गया	पैरा 31
[2005] 1 एससीआर 296	प्रतिष्ठित किया गया	पैरा 40
[1990] 2 एससीआर 570	लागू नहीं माना गया	पैरा 41
[1996] 8 सप्लीमेंट एससीआर 929	लागू नहीं माना गया	पैरा 41
(1998) 6 एससीसी 534	सन्दर्भित किया गया	पैरा 41
[1984] 1 एससीआर 939	प्रतिष्ठित किया गया	पैरा 50
[1981] 3 एससीआर 474	पर विश्वास किया गया	पैरा 55
[1987] 3 एससीआर 46	पर विश्वास किया गया	पैरा 56

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 611/2020

ई.पी. संख्या 01/2018 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 17.01.2020 के निर्णय एवं आदेश से।

साथ

सिविल अपील संख्या 2159/2020

मुकुल रोहतगी, केवी विश्वनाथन, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता, इंद्रजीत सिन्हा, निखिल रोहतगी, सुश्री मिशा रोहतगी, शशांक खुराना, बिभाष सिन्हा, भरत मोंगा, निशांत पाटिल, अज़ीम, सुश्री स्नेहा रवि अय्यर, जावेदुर रहमान, आदित्य भट्ट, मनोज सी. मिश्रा, अधिवक्ता वास्ते उपस्थित पक्षकार।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, भारत के मुख्य न्यायाधीश

1. इन अपीलों के विचार के लिए दूरगामी परिणाम का एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण सवाल उठता है। वह यह है ''क्या राज्यसभा चुनाव में विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा चुनाव की तारीख को दोपहर पूर्व में डाला गया वोट, उसी दिन दोपहर अपराह्न में आपराधिक न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा से उत्पन्न उसकी अयोग्यता के परिणामस्वरूप अमान्य हो जाएगा''?

2. हमने पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों की दलीलों को सुना है। ''क्या राज्यसभा के चुनाव में किसी सदस्य द्वारा चुनाव को दोपहर पूर्व में डाला गया वोट आपराधिक न्यायालय द्वारा उसी दिन दोपहर पश्चात् दोषसिद्धि एवं दी गई सजा के कारण उसकी सदस्यता संबंधी अयोग्यता के परिणामस्वरूप अमान्य हो जाएगा''?

3. इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे का जवाब देने के लिए पर्याप्त संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

(i) दिनांक 05.03.2018 की एक अधिसूचना द्वारा भारत के चुनाव आयोग ने झारखण्ड राज्य से राज्य परिषद की दो सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचित किया;

(ii) प्रदीप कुमार सोनथालिया, समीर उरांव और धीरज प्रसाद साहू नाम के तीन उम्मीदवारों ने दिनांक 12.03.2018 को अपना नामांकन दाखिल किया। यह कहा गया है कि पहले दो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के थे और तीसरा उम्मीदवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) का था;

(iii) दिनांक 23.03.2018 को विधानसभा में चुनाव सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच हुआ था और झारखंड राज्य की विधानसभा के कुल 80 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

(iv) एक सदस्य श्री अमित कुमार महतो जो झारखण्ड मुक्ति मोर्चा पार्टी (जेएमएम) से थे, संबंधित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के अनुसार उन्होंने दिनांक 23.03.2018 को सुबह 9::15 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

(v) भाग्यवश (मतदाता की नहीं बल्कि चुनाव प्रतिद्वंदी का) श्री अमित कुमार महतो को उसी दिन अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त xviii, रॉची की अदालत ने 2010 के सत्र परीक्षण संख्या- 481 में, धारा 147 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 323/149, 341/149, 353/149, 427/149 और 506/149आईपीसी के अंतर्गत दोषी ठहराया था। लेकिन दोषसिद्धि और सजा दोपहर 2:30 बजे सुनाई

गई। उन अपराधों के लिए उन्हें विभिन्न अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन सभी की अवधि की गणना एक साथ की जानी थी। धारा 506/149 के अंतर्गत अपराध के लिए अधिक्तम सजा निर्धारित की गई और न्यायालय ने दो साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा दी।

(vi) चूंकि राज्य परिषद का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए 23.03.2018 को मतों की गिनती शाम 7:30 बजे शुरू हुई। डाले गए 80 मतों में से दो को निर्वाचन अधिकारी द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था।

शेष 78 वोट, जो वैध रूप से डाले गए थे, को अंकों में बदल दिया गया (प्रति वोट 100 अंकों की दर से) और प्रदीप कुमार सोनथालिया को 2599 मूल्य के वोट हासिल करने की घोषणा की गई, समीर उरांव को 2601 मूल्य के वोट हासिल करने की घोषणा की गई। इस प्रकार, चुनाव याचिकाकर्ता को पराजित घोषित कर दिया गया और अन्य दो को विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया गयां

(vii) ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक न्यायालय द्वारा उसी दिन दोपहर में लगाए गए दोषसिद्धि और सजा के आधार पर, श्री अमित कुमार महतो द्वारा डाले गए वोट को अमान्य घोषित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करते हुए 11:20 अप. पर एक आपत्ति दर्ज की गई थी।

(viii) हालांकि, रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव प्रक्रिया जारी रखते हुए दिनांक 24.03.2018 को 12ः15 बजे पूर्वाह्न को परिणाम घोषित किए। श्री समीर उरांव और श्री धीरज प्रसाद साहू को निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया और उन्हें चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 85 के अनुसार इस आशय का फॉर्म संख्या-24 में एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था।

(ix) इसलिए, पराजित उम्मीदवार प्रदीप कुमार सोनथालिया ने चुनाव याचिका संख्या-01/2018 में एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें इस आषय की घोषणा के लिए प्रार्थना की गई कि निर्वाचन अधिकारी ने श्री अमित कुमार महतो के अमान्य वोट का अनुचित रूप से स्वकार किया है। उन्होंने श्री धीरज प्रसाद साहू के चुनाव को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को विधिवत राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की घोषणा की जाए।

(x) उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका में विचार के लिए 6 मुद्दे तैयार किए हैं और जो इस प्रकार हैं:-

1. क्या श्री अमित कुमार महतो ने झारखण्ड के राज्य परिषद, 2018 के द्विवार्षिक चुराव में राज्य के संबंध में प्रतिवादी के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया?

2. क्या अतिरिक्त न्याय आयुक्त-xviii द्वारा सेशन ट्रायल संख्या- 2010 का 481 मामले में दोषसिद्धि और दो साल की सजा के पश्चात् श्री अमित कुमार महतो विधानसभा के सदस्य नहीं रह गए। उनकी अयोग्यता उनकी दोषसिद्धि और दो साल की सजा की तारीख से तुरंत लागू हो गई? अतः क्या वोट की गणना करते समय श्री अमित कुमार महतो के वोट पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था?

3. क्या श्री अमित कुमार महतो की अयोगयता ने उनके वोट को अमान्य/ अवैध बना दिया जो प्रतिवादी सं0-1 पर डाला गया था और इसलिए, उनके वोट को स्वीकार करना अनुचित था और इस प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 100(1)(डी) (iii) के संदर्भ में प्रतिवादी सं0-1 का चुनाव अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

4. क्या याचिकाकर्ता की ओर से इस आधार पर की गई आपत्ति को अस्वीकार करना कि निर्वाचन अधिकारी का संवाद (ई-मेल दिनांक 24.03.2018) निर्वाचन अधिकारी को परिणामों की घोषणा तक श्री अमित कुमार महतो की दोषसिद्धि का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था, बिल्कुल अवैध और गैरकानूनी है?

5. क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के संदर्भ मंे श्री अमित कुमार महतो की अयोग्यता, उसकी दोषसिद्धि और दो साल की सजा की तारीरव से प्रभावी होता है, यानि 23.03.2018 से जिसका अर्थ है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उस दिन से जो आधी रात से शुरू होता है और 24 घंटे की अवधि का होता है अर्थात दिनांक 23.03.2018 को 00:00 घंटे से?

6. प्रतिवादी नं0-1 को राज्य परिषद 2018 के द्विवार्षिक चुनाव में 0.01 वोट के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया है और यदि श्री अमित कुमार महतो का वोट जो अनुचित तरीके से प्राप्त हुआ है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर क्या याचिकाकर्ता सफल घोषित होने और इसके परिणामस्वरूप राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने का हकदार है?

(xi) मद संरव्या- 1, 2, 3 और 5 के संदर्भ में याचिकाकर्ता के पक्ष में परिणाम प्राप्त होने के पश्चात उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को दिनांक 17.01.2020 के फैसले से खारिज कर दिया। मद संरव्या- 4 एवं 6 पर उच्च न्यायालय ने कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया।

(xii) चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में मुद्दा संख्या- 1, 2, 3 और 5 तय करने के बावजूद उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाकर्ता को मुख्य रूप से इस आधार पर कि एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा किया जाने वाला राज्य परिषद का चुनाव एक अत्यंत जटिल तकनीकी प्रक्रिया है, कोई राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत के लिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि अगर उस एक वोट को अस्वीकार कर दिया जाता तो चुनाव याचिकाकर्ता चुनाव जीत सकता था या नहीं।

(xiii) इस तर्क के आधार पर कि सर्जरी सफल होने के बावजूद मरीज की मृत्यु हो गयी, चुनाव याचिकाकर्ता ने 2020 की सिविल अपील संख्या - 2011 के माध्यम से एक अपील दायर की है। मद संख्या- 1, 2, 3 और 5 पर निष्कर्षों से व्यथित होकर दो असफल उम्मीदवारों में से एक, श्री धीरज प्रसाद साहु ने दूसरी अपील 2020 की संख्या - 2159 दायर की है। सुविधा के उद्देश्य से हम सिविल संख्या- 2020 का 611, के अपीलकर्ता को सदैव अपीलकर्ता के रूप में और दूसरी अपील के अपीलकर्ता को असफल उम्मीदवार के रूप में संबोधित कर रहे हैं।

4. आगे बढ़ने से पहले, यह दर्ज किया जाना चाहिए कि हमारे सामने या उच्च न्यायालय के समक्ष इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि श्री अमित कुमार महतो ने दिनांक 23.03.2018 को सुबह 9:15 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग किया और यह कि आपराधिक अदालत का फैसला उसी दिन दोपहर 2:30 बजे दिया गया था।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष, चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से इस धारणा की वैधता के बारे में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि श्री अमित कुमार महतो ने श्री धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में अपना वोट डाला। यदि श्री अमित कुमार महतो ने श्री धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में अपना वोट नहीं डाला होता, तब जिस पूरी इमारत पर चुनाव याचिका बनाई गई थी, वह ध्वस्त हो सकती थी। इसलिए, रिटर्निंग ऑफिसर, श्री बिनय कुमार सिंह का परीक्षण पीडब्लू-1 के रूप में किया गया और उनके माध्यम से मूल बैलेट पेपर जिसके द्वारा श्री अमित कुमार महतो ने अपना वोट डाला, को प्रदर्षनी-9 के रूप में चिन्हित किया गया था। उसी के आधार पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री अमित कुमार महतो ने कांग्रेज उम्मीदवार श्री धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में अपना वोट डाला। पीडब्लू-1 और एग्जिबिट-9 के सबूतों से यह भी स्पष्ट था कि श्री अमित कुमार महतो ने अपने दूसरे, तीसरे और चौथे वरीयता के मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, इसलिए, अमित कुमार महतो द्वारा डाले गए वोट की वैधता का महत्व, खासकर जीत के अंतर को देखते हुए, बढ़ गया।

6. चूंकि अमित कुमार महतो द्वारा धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में अपना वोट डालने की तथ्यात्मक स्थिति अब अनुपलब्ध हो गई है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कई मुद्दे अब महत्वहीन हो गए हैं। केवल 2 मुद्दे हैं जो अब विचारणीय हैं और वे हैंः-

(प) क्या श्री अमित कुमार महतो द्वारा दिनांक 23.03.2018 को सुबह 9ः15 बजे श्री धीरज प्रसाद साहू के पक्ष में वोट डाला गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) एंव जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत मतदाता को हुई अयोग्यता के कारण वोट को अमान्य माना जाना चाहिए चूंकि एक आपराधिक मामले में सत्र न्यायालय द्वारा उसी तारीख दिनांक 23.03.2018 दोपहर 2:30 बजे दिए गए फैसले में उनकी दोषसिद्धि और सजा निर्धारित की गई थी।

(पप) क्या पहले मुद्दे का जवाब सकारात्मक होने की स्थिति में, चुनाव याचिकाकर्ता विधिवत निर्वाचित घोषित किए जाने का स्वाभाविक रूप से हकदार है।

7. यही कहने की जरूरत नहीं है कि जैसा कि ऊपर बताया गया है, दूसरा प्रश्न तभी विचारणीय होगा जब पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होगा, अन्यथा नहीं।

8. आगे बढ़ने से पहले, हम दो सहायक मुद्दों अर्थात (i) चुनाव याचिका में एक पक्ष के रूप में भारत के चुनाव आयोग को शामिल नहीं किया जाना और (ii) मतों की फिर से गिनती के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना नहीं किए जाने पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया। यदि श्री धीरज साहु द्वारा मद संख्या - 1, 2, 3 और 5 के निष्कर्षो के विरूद्ध अपील दायर नहीं की जाती तो उन मुद्दों का महत्व बढ़ जाता। अतः ये सहायक मुद्दे इस स्तर पर बाधक नहीं हो सकते।

9. हारे हुए प्रत्याषी, जो प्रथम सिविल अपील का याचिकाकर्ता है, के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री मुकुल रोहतगी और श्री के.वी. का कहना है कि जहां भी कोई कानून, किसी घटना के संदर्भ में तिथि शब्द का उपयोग करता है, अदालतों ने हमेशा इसकी व्याख्या पिछले दिन और वर्तमान दिन के मिलन बिंदु पर की है अर्थात 00.01 बजे पूर्वाहन्।

यह सबसे पहले इसलिए है क्योंकि यह वह समय है जब दिन शुरू होता है और दूसरा क्योंकि कानून टुकड़ों में गणना नहीं करता। इसलिए, यह उनका तर्क है कि हालांकि सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने और सजा का अपना फैसला को 23.03.2018 को 2:30 बजे दिया। कानून के अनुसार दोषसिद्धि की तारीरव लगभग 00.01 पूर्वाहन् में शुरू हुई थी, जब 22 मार्च की तारीख समाप्त हो गई और 23 मार्च की तारीरव शुरू हुई। विद्वान वरिष्ठ वकील का एक और तर्क है कि जिस समय निर्णय दिया गया था वह अप्रासंगिक है और वास्तव में दोषसिद्धि की तारीख पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो अयोग्यता भी 23.03.2018 को 00.01 पूर्वाह्न पर शुरू होगी। परिणाम के तौर पर 23.03.2018 को सुबह 9:15 बजे वोट डाला गया वोट एक अयोग्य सदस्य द्वारा डाला वोट होगा और इस प्रकार अमान्य होगा।

10. उपोक्त तर्क की सत्यता का परीक्षण करने के लिए, पहले संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवष्यक है।

11. संविधान का अनुच्छेद 191 उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में आयोग्य माना जायेगा (i) या तो चयन किए जाने के लिए (ii) या सदस्य होने के लिए। अनुच्छेद 191 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि इसमें चुनाव में चयन प्रक्रिया और निर्वाचित होने के बाद कार्यालय में बने रहने दोनों को शामिल किया गया है। यह इस प्रकार हैः-

191. सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

(1) किसी व्यक्ति को किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा

(क) यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद रखता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा अपने धारक को अयोग्य न ठहराने के लिए कानून द्वारा घोषित पद के अलावा

(रव) अगर वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम अदालत द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई है

(ग) अगर वह एक निर्वितरित दिवालिया है

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन को स्वीकार करता है

(ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है

(स्पष्टीकरण-1 इस खड के प्रयोजनों के लिए), किसी व्यक्ति को भारत सरकार या पहला अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद केवल इस कारण से नहीं माना जाएगा कि वह संघ या ऐसे

राज्य के लिए मंत्री है।

(2) किसी व्यक्ति को किसी राज्य की विधानसभा

या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए अयोग्य

ठहराया जाएगा यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य

घोषित किया जाता है।

12. यदि कोई व्यक्ति, विधानसभा का सदस्य होने के नाते, अयोग्यता का सामना करता है, तो उसकी सीट खाली हो जाती है। इस स्थिति का ध्यान अनुच्छेद 190 द्वारा रखा गया है जो इस प्रकार हैः

190. सीटों का रवाली होना

(1) ....

(2) ....

(3) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदर का सदस्य-

(ः) अनुच्छेद 191 के रवंड (1) या रवंड (2) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता का षिकार हो जाता है, या

(इ) जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष या अध्यक्ष को संबोधित अपने पत्र के माध्यम से लिखित रूप में अपेन पद से इस्तीफा सौंपता है और उनका इस्तीफा अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा, जैसा भी मामला हो, स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद उसकी सीट खाली हो जाएगी।

(बशर्ते की खड (बी) में निर्दिष्ट किसी इस्तीफे के मामले में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझता है, अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा कि मामला हो सकता है, संतुष्ट है कि इस तरह का इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, वह इस तरह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा)

13. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह घटना जो अनुच्छेद 191 (1)(ई) के तहत अयोग्यता का कारण बनती है धारा 8 (3) के साथ पढ़े जाने पर किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्धि है। इस तरह की अयोग्यता का परिणाम यह है कि सीट खाली हो जाती है। जाहिर है, इसलिए, विधानसभा का सदस्य जो अयोग्य हो गया है और जिसकी सीट खाली हो गई है, वह अनुच्छेद 80 (4) के तहत अपने राज्य से एक प्रतिनिधि चुनने के लिए अपना वोट डालने का हकदार

नहीं है, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि ''निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे''। उस सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 152 के तहत बनाए गए राज्य विधानसभा के सदस्यों की सूची से हटा दिया जाएगा। विधानसभा सदस्य द्वारा चुनाव के संबंध में वह एक निर्वाचक नहीं रह जाता है और अपना वोट नहीं डाल सकता है।

14. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के सदनों के चुनाव कराने, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करने, भ्रष्ट प्रचलन की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता से संबंधित है। अयोग्यता के उद्देश्य से, अपराधों को धारा 8 में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात

(i) उप-धारा (1) के तहत आने वाले अपराध

(ii) उप-धारा (1) और (2) के तहत आने वाले अपराध

(iii) उप-धारा (1) और (2) के तहत नहीं आने वाले अपराध।

15. अयोग्यता के परिणामस्वरूप सदस्य को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 152 के तहत मतदाताओं की सूची से हटा दिया जाता है, हालांकि वास्तविक विलोपन में समय लग जाता है। किसी भी मामले में, चुनाव के संचालन के नियम, 1961 नियम 2 (डी) के अंतर्गत वह एक निर्वाचक नहीं रह जाता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा चुनाव के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार है।

16. हम इस मामले में धारा 8 की उप-धारा (3) पर विचार कर रहे हैं क्योंकि अमित कुमार महतो को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत नहीं आते हैं। अतः केवल धारा 8 की उप-धारा (3) इस प्रकार उद्धृत हैः-

8. कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता-

(1) ....

(2) ....

(3) किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम दो साल के कारावास की सजा पाए व्यक्ति (उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के अलावा) को इस तरह की दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा और उसकी रिहाई के बाद से छह साल की और अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

17. 1951 के अधिनियम 43 की धारा 8 के तहत अयोग्यता संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ई) से संबंधित है। अतः धारा 8 की कोई भी व्याख्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।

18. जैसा कि इस न्यायालय ने सरिता ईडन एस. नायर बनाम् हिबी ईडन[1](एसएलपी सं0- 2020 का 10678 दिनांक 8.02.2020) मामले में इंगित किया था, अधिनियम की धारा 8 (3) अयोग्यता की शर्तों और अयोग्यता की अवधि दोनों से संबंधित है। जहां तक अयोग्यता की अवधि का संबंध है, धारा 8 (3) इस मायने में व्यापक है कि यह अवधि की शुरूआत और इसकी समाप्ति दोनों को दर्षाती है। दोषसिद्धि की तारीख को अयोग्यता की शुरूआत का बिंदु निर्धारित किया गया है और रिहाई के बाद छह साल की अवधि पूरी होने की तारीख को अयोग्यता की अवधि की समाप्ति के बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है।

19. एक बार जब अयोग्यता की अवधि शुरू हो जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 190 (3) के आधार पर अयोग्य घोषित व्यक्ति की सीट खाली हो जाती है। अयोग्य व्यक्ति की सीट खाली होने के बारे में अनुच्छेद 190 (3) में अभिव्यक्ति ''इसके बाद'' का उपयोग किया गया है। ''इस तरह की सजा की तारीरव'' जैसे शब्दों की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में ररवना पड़ सकता है।

20. एक मौलिक सिद्धांत जिसे हमें धारा 8 (3) में आने वाले वाक्यांश की व्यारव्या करते समय ध्यान में रखना पड़ सकता है कि इस स्वरूप के मामलों में, न्यायालय किसी मौलिक अधिकार या सामान्य कानून पर विचार नहीं कर रहा है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से ज्योति बसु बनाम् देवी घोषाल[2] (1982) एससीसी 691 मामले में कहा गया है, चुनाव संबंधी विवाद एक विषेष अधिकार क्षेत्र में निहित है और इसलिए इसका उपयोग सामान्य कानून और समानता से परिचित अवधारणाओं को आत्मसात किए बिना किया जाना चाहिए, जब तक कि वे कानून में ही निहित न हो। हम ज्योति बसु मामले के निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को अपने उपयोग हेतु उद्धृत कर सकते हैंः-

8. चुनने का अधिकार, हालांकि लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है, विसंगति है कि यह न तो मौलिक अधिकार और न ही सामान्य कानून का अधिकार है। यह शुद्ध सरल रूप में, एक वैधानिक अधिकार है, जैसा कि निर्वाचित होने का अधिकार है। इसी प्रकार चुनाव पर विवाद करने का अधिकार है। कानून के बाहर, चुनाव करने को कोई अधिकार नहीं है, न तो निर्वाचित होने का कोई अधिकार है और चुनाव पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। सांविधिक व्यवस्था का हिस्सा होने के कारण ये सांविधिक सीमा के अधीन है। चुनाव याचिका सामान्य कानून में एक कार्रवाई नहीं है, न ही इक्विटी में। यह एक सांविधिक कार्यवाही है जिस पर न तो सामान्य कानून और न ही समानता के सिद्धांत लागू होते हैं, बल्कि यहाँ केवल वे नियम लागू होते हैं जो कानून बनाता है और लागू करता है। यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है और इसे बनाने वाली वैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमेषा एक विषेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य कानून और समानता से परिचित

अवधारणाओं का चुनाव कानून से कोई संबंध नहीं होना चाहिए जब तक कि सांविधिक रूप से मूर्त न हो।

21. इस न्यायालय के पशुपति नाथ सिंह बनाम् हरिहर प्रसाद सिंहङ (एआईआर 1968एससी1064) मामले के निर्णय को रेखांकित करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि जहां भी कानून में ‘‘उसी दिन’’ शब्दों का इस्तेमाल होता है इसका तात्पर्य ‘‘पूरे दिन’’ से लिया जाना चाहिए। कानून में जहां तक संभव हो, दिन में अंशो का महत्व नहीं है।

22. लेकिन हमारे विचार में पशुपति नाथ सिंह मामले से अपीलार्थी के तर्क को बल नहीं मिलता है। उस मामले में बिहार विधानसभा के चुनाव के डुमरो निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का मुद्दा प्रासंगिक था। कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन 13.01.1967 से 20.01.1967 की अवधि में दाखिल किया जाना निर्धारित था। नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 21.01.1967 निर्धारित की गई थी। निर्वाचन अधिकारी ने, दिनांक 21.01.1967 को नामांकनों की जांच करने पर, इस न्यायालय के अपीलार्थी के नामांकन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसने अधिनियम 173 के खंड (ए) द्वारा आदेशित अपेक्षित शपथ पत्र की पुष्टि जांच से पहले या बाद में जांच की तारीख पर नहीं की थी। उस मामले में जो सवाल उठा था, उसे पैराग्राफ 4 में इस प्रकार तैयार किया गया थाः-

4. अपील का संक्षिप्त प्रष्न है कि क्या किसी उम्मीदवार के लिए संविधान के अनुच्छेद 173 के खंड (ए) द्वारा आदेशित अपेक्षित शपथ या पुष्टि करना नामांकन पत्र की जांच के लिए निर्धारित तिथि से पहले आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, क्या कोई उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति किए जाने पर आवश्यक शपथ लेने का हकदार है या नामांकन की जांच शुरू होने से पहले उसके द्वारा आवश्यक शपथ लेना या इसकी पुष्टि आवश्यक होगी।

23. उपरोक्त प्रष्न का उत्तर अधिनियम, खंड (ए) की धारा 36 (2) की व्याख्या पर बदल गया। जिसमें ‘‘जांच के लिए तय की गई तारीख को’’ षब्दों का इस्तेमाल किया गया था। पशुपति नाथ सिंह मामले में इस अदालत के समक्ष अपीलार्थी का तर्क, क्या वह एक आपत्ति किए जाने के तुरंत बाद, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आपत्ति पर विचार करने से पहले, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ या पुष्टि करने का हकदार था। चूंकि धारा 36 (2)(ए) जांच के लिए तय की गई तारीख पर अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, अपीलार्थी द्वारा पशुपति नाथ सिंह मामले में यह तर्क दिया गया था कि जिस दिन जांच हुई, वह पूरा दिन उनके लिए उपलब्ध था। हालांकि, इस तर्क को इस अदालत ने निम्नलिखित तरीके से खारिज कर दिया थाः-

16. इस संबंध में यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून जहां तक संभव हो, दिन के अंष को स्वीकार नहीं करता है। यह बहुत भ्रम पैदा करेगा यदि यह माना जाता है कि कोई उम्मीदवार नामांकनों की जांच के लिए निर्धारित तिथि के अंत तक एक सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए

अर्हता प्राप्त करने को हकदार होगा। अगर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील सही हैं, तो उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को उन्हें शपथ लेने में सक्षम बनाने के लिए जांच के लिए निर्धारित तिथि को 11ः55 दोपहर तक इंतजार करने के लिए कह सकता है।

24. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने पशुपति नाथ सिंह के मामले में ''तारीख'' शब्द की व्यारव्या के संदर्भ में बताया कि यह जरूरी नहीं है कि इसका मतलब 00.01 पूर्वा से 24.00 अप. ही हो। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में एक तारीरव का मतलब 24 घंटे के समय से होता है। लेकिन समय की गणना थम गई, जिस क्षण पशुपति नाथ सिंह मामले में अपीलार्थी का नामांकन जांच के लिए लिया गया था। इस प्रकार 24 घंटे के पूरे दिन का लाभ इस अदालत द्वारा पशुपति नाथ सिंह मामले में उपलब्ध नहीं कराया गया था और नामांकन पत्रों की जांच के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करने के निर्वाचन अधिकारी के कार्य को इस अदालत द्वारा पशुपति नाथ सिंह मामले में बरकरार ररवा गया था।

25. वास्तव में, पशुपति नाथ सिंह का मामला इस मामले की एक दर्पण छवि या इसका व्युत्क्रम कहा जा सकता है। इस मामले में एक घटना की शुरूआत की अवधि पर प्रश्न है, जबकि पशुपति नाथ सिंह के मामले में समापन अवधि का मसला था। यदि जिस तारीख को जांच की गई थी, वह उस समय समाप्त हो सकती है जब जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उसी तर्क से हमें स्वीकार करना चाहिए कि किसी घटना के शुरू होने की तारीरव जैसे कि दोषसिद्धि और परिणामी अयोग्यता भी उस समय से शुरू होनी चाहिए जब घटना हुई थी।

26. वास्तव में इस मामले में अपीलार्थी का तर्क एक दोधारी हथियार है। अगर दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की घटना जो दिनांक 23.03.2018 को दोपहर 2:30 बजे हुई थी को प्रातः 00:01 बजे माना जाए तो श्री अमित कुमार महतो द्वारा 9:15 बजे पूर्वाहन में किए गए मताधिकार के प्रयोग की घटना भी 00.01 पूर्वाहन में घटित मानी जा सकती है। जब इन दोनों घटनाओं की तारीरव के शुरू होने के समय से संबंधित माना जाता है तो परिणामस्वरूप इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। पशुपति नाथ सिंह के मामले में एक ऐसे स्पष्टीकरण पर बल दिया गया कि भ्रम की स्थिति न रहे।

27. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस अदालत के प्रभु दयाल सेस्मा बनाम् राजस्थान राज्य[4] ख(1986)4 एससीसी 59, मामले के अपने फैसले पर इस तर्क के समर्थन में भरोसा किया कि एक कानूनी तारीरव आधी रात 12 बजे के बाद शुरू होती है और अगली रात के उसी घंटे तक जारी रहती है। लेकिन प्रभु दयाल सेस्मा मामला राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के नियम 1962 के 11 बी के संदर्भ में उत्पन्न हुआ जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन के लिए में भाग लेने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी। उस मामले में अपीलार्थी का जन्म 02.01.1956 को हुआ और नियम 11बी के अनुसार चयन में भागीदारी के लिए

अभ्यर्थी की आयु जनवरी के पहले दिन 28 वर्ष नहीं होनी चाहिए चूंकि अगली तिथि आवेदन स्वीकार किए जाने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इसलिए जब वर्ष 1983 में एक अधिसूचना जारी की गई थी, तो अधिकतम आयु सीमा 1 जनवरी, 1984 को निर्धारित किया जाना तय हुआ। चूंकि अपीलार्थी का जन्म 02.01.1956 के हुआ था और 01.01.1984 को उसकी आयु 28 वर्ष हो गई थी, इसलिए उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी गई थी। ऐसी परिस्थितियों में ही इस अदालत ने भारतीय बहुमत अधिनियम 1875 की धारा 4 को ध्यान में रखा, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की आयु की गणना की विधि निर्धारित की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियम 11बी में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ''28 वर्ष उम्र पूरी नहंीं हुई होगी''। यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अपीलार्थी आधी रात 12 बजे उक्त आयु का हो चुका था, जब 1 जनवरी को उसका जन्म हुआ था। उल्लेखनीय है कि अगर प्रभु दयाल सेस्मा मामला सेवानिवृति से सम्बद्ध होता तो उसी तर्क से 1 जनवरी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेता, 1 जनवरी को 24:00 बजे ही। लेकिन नियम 11बी ने अनिवार्य किया कि उम्मीदवार ने ''हासिल नहीं किया है''। इसलिए, प्रभु दयाल सेस्मा भी अपीलार्थी के पक्ष में नहीं जाता है।

28. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत तरूण प्रसाद चटर्जी बनाम् दीनानाथ शर्मा[5](2000) 8 एससीसी 649, मामला लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 21(1) के तहत चुनाव याचिका फाईल करने के लिए समय सीमा की अवधि की गणना से संबंधित था। इसलिए, इस न्यायालय ने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 का उल्लेख किया, जिसमें उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें समय के प्रारंभ और समाप्ति को निर्धारित करने वाले कानूनों को ''से'' और ''तक'' जैसे अभिव्यक्तियों का उपयोग करके शब्दबद्ध किया जा सकता है। लेकिन यह निर्णय भी अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं, चूंकि अधिनियम की धारा 8 (3) में ''से'' शब्द के साथ-साथ ''दोषसिद्धि की तारीख'' का उपयोग किया गया है और तरूण प्रसाद चटर्जी मामले में केवल ''से'' शब्द की व्याख्या से संबंधित है।

29. तरूण प्रसाद चटर्जी मामला में सामान्य खंड अधिनियम तक जाने की आवष्यकता नहंी है, क्योंकि समय सीमा अवधि की गणना करते समय समय सीमा अधिनियम, 1963 धारा 12 (1) के अंतर्गतयह प्रावधान है कि जिस तिथि से समय सीमा की अवधि तय की जानी है उस तिथि का संज्ञान नहीं लिए जाने का प्रावधान है।

30. उल्लेखनीय है कि आपराधिक कानून में भी इन मुदद्ो पर अन्तरविरोध हैः (i) किसी व्यक्ति द्वारा कारावास की अवधि की गणना करते समय ''तिथि'' संबंधी स्पष्टीकरण और (ii) अपील पुर्नविचार दायर करने के लिए समय सीमा की अवधि गणना करते समय उसी अभिव्यक्ति संबंधी स्पष्टीकरण। उदाहरण के लिए, मान लीजिए, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसके अनुसार 23.03.2018 को हिरासत में भी लिया जाता है, 23 मार्च

का पूरा दिन कारावास की कुल अवधि में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत, अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने के लिए 23 मार्च के दिन की गणना नहीं की जाएगी। हालांकि दोनों प्रावधान एक-दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों स्पष्टीकरण का उदेश्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है।

31. बी.आर. कपूर बनाम् तमिलनाडु राज्य एवं अन्य[6] ख्(2001) 7 एससीसी 231, के मामले में संविधान पीठ के निर्णय का उद्धरण देते हुए अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 191 और आर.पी. अधिनियम की धारा 8 के तहत अयोग्यता एक दंडात्मक प्रावधान नहीं है और इसलिए लाभप्रद संरचना का सवाल नहीं उठेगा, खा सकर जब इस तरह की अयोग्यता का उदेश्य राजनीति की छवि सुधारने की हो।

32ः. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोग्यता एक दंडात्मक प्रावधान नहीं है और अयोग्यता का उद्देष्य राजनीति के अपराधीकरण को रोकना है।

33. दंड संहिता के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए दंड न्यायालय द्वारा धारा 8 (3) के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने पर अयोग्यता की बात उठी थी। अतः धारा 8 (3) के वाक्यांष ‘‘दोषसिद्धि की तारीख’’ पर उन दंडात्क प्रावधानों के संदर्भ में चर्चा की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था।

34. यह नियम कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक उसे निर्दोष माना जाता है, संवैधानिक कानून का एक लंबे समय से चला आ रहा सिद्धांत है और इसे केवल सामान्य शब्दों के उपयोग से बदला नहीं जा सकता है। कानून में इसे वैधता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले पर लागू होता है। पीयरसन बनाम् गृह विभाग के राज्य सविच[7] ख्(1997) 3 सभी ईआर 577, मामले में हाउस ऑफ लार्डस ने यह माना कि जब तक कि

> इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधान न हो, संसद कानून के शासन के विपरीत ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो निष्पक्षता के न्यूनतम मानक मूल और प्रक्रियात्मक दोनों को लागू करता हो।

35. हमारे विचार में यह मानना कि विधानसभा के एक सदस्य को दोषी ठहराए जाने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया जाना, दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के उसके मूल अधिकार का घोर उल्लंघन करेगा। आस्ट्रेलिया में इस सिद्धांत को कानून के शासन के एक पहलू के रूप में वर्णित किया गया है ‘‘जिसकी जानकारी संसद और न्यायालय दोनों को है, जिस पर वैधानिक भाषा की व्याख्या की जाएगी’’[8] पीटीवाई लिमिटेड बनाम् शराब लाईसेंस अदालत, (2009) 83 एएलजेआर 327 पैरा 47.,

36. वर्तमान मामले में, यह जोड़ना महत्वपूर्ण होगा कि कानून के सामान्य नियम के साथ ''तिथि'' शब्द के उपयोग में की गई घोषणा को असंगत बनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि ''तिथि'' शब्द पूरे दिन के बजाय उस समय का अर्थ निकालने में काफी सक्षम है जब घटना हुई थी।

37. यह सर्वविदित धारणा कि एक आदमी तब तक निर्दोष है जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाता है, को विकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि शब्द दोनों प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि यह ज्ञात है कि बरी होना जन्म पर आधारित है, हमारे सामने इस प्रस्ताव के लिए कोई मामला उद्धृत नहीं किया गया है कि एक दोषसिद्धि अपने आप से एक मिनट पहले भी प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा, तारीख शब्द का इस्तेमाल अवसर, समय, वर्ष आदि को दर्षाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग वर्तमान तक के समय के निरूपित करने के लिए भी किया जाता है जब इसका उपयोग ''दो तिथियों'' के वाक्यांश के रूप में किया जाता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि ''तिथि'' शब्द का उपयोग समय के एक बिंदु आदि को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। (देखें रोगेट का इंटरनेशनल शब्दकोश तीसरा संस्करण नोट 114.4)।

38. यह कहना कि निर्दोशता की यह अवधारणा 0.01 पूर्वा से समाप्त हो जाएगी, हालांकि सजा 14:30 अप बजे दी गई थी, अपराधिक न्यायशास्त्र के सबसे मौलिक सिद्धांत की मूल पर हमला करेगा।

39. चूंकि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि दंडात्मक कानून के तहत होती है, इसलिए इसे दोषसिद्धि से पहले के समय से प्रभावी नहीं माना जा सकता है। जैसा कि डॉ. ए.एम. सिंघवी ने सही बताया है कि इस अदालत ने भारत संघ बनाम् मेसर्स जी.एस. चठा राईस मिल्स[9] ख(2020) एससीसी ऑनलाईन एससी 770, मामले में पाया कि कानूनी कल्पना उन तथ्यों पर हावी नहीं हो सकती है जहां कानून का इरादा ऐसा प्रबल होने का नहीं है। यह एक ऐसा मामला था जहां भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ लागू किया गया था। यह अधिसूचना ई-राजपत्र पर दिनांक 16.02.2019 को 20:46:58 बजे अपलोड की गई थी। भारत सरकार का कहना था कि शुल्क की बढ़ी हुई दर उन लोगों पर भी लागू थी, जिन्होंने ई-राजपत्र में बढ़ी हुई दर अधिसूचित होने से पहले ही घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश के बिल पेश कर दिए थे। आयातकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष सीमा शुल्क अधिकारियों के दावे को सफलतापूर्वक चुनौती दी और भारत संघ न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध अपील की। मेसर्स जी.एस. चठा राईस मिल्स मामले के निर्णय की धारा एच में ''दिन'' और ''तारीख'' शब्दों की व्याख्या पर एक व्यापक विश्लेषण किया गया था। कई फैसलों पर ध्यान देने के बाद, जिनमें से कुछ अवधि मर्यादा विधि (लॉ ऑफ लिमिटेशन) के तहत उत्पन्न हुए, कुछ बीमा कानून के तहत और कुछ चुनाव कानून के तहत, इस न्यायालय ने बताया कि इन अभिव्यक्तियों का अर्थ अलग-अलग संदर्भों में किया गया था और यह कानून में एक सामान्य स्थिति निर्धारित नहीं करती थी जो विषय, संदर्भ और विधि से अलग थी। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संक्षेप में कहा

गया है, विधायी मौन रचनात्मकता के लिए जगह बनाते हैं और की विधायी स्थानों और मौन के बीच, कानून को सामान्य ज्ञान के मजबूत अनुप्रयोग द्वारा आकार दिया जाता है।

40. के. प्रभाकरण बनाम् पी. जयराजन[10] 1 0 (2005) 1 एससीसी 754, के मामले का उदाहरण देते हुए अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने उस प्रश्नपर विचार नहीं किया जिसका अब हम सामना कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला था जहां इन मुद्दों पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया थाः (i) कारावास की कई सजाओं का प्रभाव, प्रत्येक को 2 साल से कम की अवधि के लिए लगातार चलाने का आदेश दिया गया है और समवर्ती रूप से नहीं, जिससे अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत निर्धारित अवधि से अधिक हो जाएगा। (ii) चुनाव खत्म होने के बाद आपराधिक मामले में दिए गए अपीलीय न्यायालय के फैसले का प्रभाव, सवाल में था। यह उस संदर्भ मंे है कि संविधान पीठ ने के. प्रभाकरण मामले में कहा था। आर.पी. अधिनियम की धारा 8 को दंड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप समझना होगा ताकि दोनों में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके।

41. बीमा कानून के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों की अयोग्यता के मामलों से कोई प्रासंगिकता नहीं है। यहां तक कि बीमा के कानून के तहत भी, व्याख्या के विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान से पोषित और विकसित किया गया है। उदाहरण के लिए न्यू इंडिया इंस्युरेंश कंपनी लिमिटेड बनाम् राम दयाल और अन्य[11] ख(1990) 2 एससीसी 680, मामले में इस अदालत में एक ऐसा मामला आया जिसमें एक वाहन की बीमा अवधि 31.08.1984 तक ही थी। इसका नविनीकरण नहीं किया गया था। हालांकि, 28.09.1984 को बीमा की एक नई पॉलिसी ली गई थी। उसी दिन वाहन की दुर्घटना हो गई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी द्वारा दायित्व को अस्वीकार करने के निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना की तारीख को प्राप्त बीमा की पॉलिसी बीमा की तारीख के शुरू होने से चालू हो गई, अर्थात पिछली आधी रात से। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को बरकरार रखते हुए, एक छोटे से आदेष द्वारा, इस न्यायालय ने इन रे एफ. बी. वारेन[12] ख(1938) 2 सभी ईआर 331, मामले का उल्लेख किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एक न्यायिक कार्य को उस दिन के पहले क्षण में संदर्भित किया जाएगा जिस दिन यह किया जाता है। हालांकि, बाद में निर्णय में नेशनल इंस्युरेंश कंपनी लिमिटेड बनाम् जीजुभाई नाथूजी दाभी और अन्य[1ङ] ख(1997) 1 एससीसी 66, मामले में अदालत ने निर्णय को यह कहते हुए समझाया कि राम दयाल (ऊपर) मामले के संदर्भ में यह बीमा पॉलिसी में (शपथ पत्र) उल्लिखित किसी विषिष्ट समय के अभाव में ही प्रभावी होगा। जीजुभाई नाथूजी दाभी (उपरोक्त) मामले में अदालत ने पाया कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यह 25.10.1983 को शाम 4 बजे से प्रभावी होगा और इसलिए उसी दिन शाम 4 बजे से पहले हुई दुर्घटना के संबंध में बीमा कवरेज उपलब्ध नहीं था। द जीजुभाई नाथूजी दाभी (ऊपर) मामले का निर्णय न्यू इंडिया एष्योरंेस कंपनी बनाम् भगवती देवी[14] (1998) 6 एससीसी 534, मामले में भी पालन किया गया था।

42. स्मरणीय है कि बीमा पॉलिसी अनुबंध की शर्तों से मार्गदर्शित होती है। इसलिए, इस तरह के अनुबंध की शर्तों के लिए दी जाने वाली व्याख्या काफी हद तक पार्टियों के इरादे पर निर्भर करेगी, जिसमें ज्यादातर शर्तें उस पार्टी के पक्ष में होगी जिसके मोलभाव करने की क्षमता अन्य अनुबंध करने वाल पक्ष के बराबर नहीं है। इसलिए हमारे लिए बीमा अनुबंध के शब्द ''तारीख'' शब्द को दी गई व्याख्या को अपनाना संभव नहीं है।

43. यदि अपीलार्थी के कथन को स्वीकार किया जाता है तो अचंभित करने वाला वैधानिक तथ्य उभर कर सामने आता है मसलन कि परिणाम कारण से पहले होता है। यह इस प्रावधान को बेतुका कर देगा और अदालतों को यह मानने की आवष्यकता होगी कि कोई परिणाम इसके कारण से पहले हो सकता है, लेकिन विद्वान वकील के अनुसार यह प्रावधान का इच्छित प्रभाव है क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक दोषी व्यक्ति को उसकी दोषसिद्धि की तारीख से अयोगय घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हम सहमत नहीं हैं। अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत उत्पन्न होने वाली अयोग्यता, आपराधिक न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, दोषसिद्धि कारण है और अयोग्यता परिणाम है। एक परिणाम कभी भी कारण से पहले नहीं हो सकता है। अगर हम अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार करते हैं, तो यह माना जाएगा कि परिणाम कारण सामने आने से पहले ही हुआ था।

44. असफल उम्मीदवार के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि संविधान अयोग्यता का सामना करने के बावजूद मतदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों की आकस्मिकता का भी ध्यान रखता है। ऐसे मामले में अदालत पूर्व निर्धारित प्रावधानों से अलग कुछ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 193 जो इस आकस्मिकता का ध्यान रखता हैः

193. अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या पुष्टि करने के पूर्व या जब योग्य नहीं अथवा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो किसी व्यक्ति द्वारा सदन में बैठने और मतदान करने पर जुर्माना। अनुच्छेद 188 की आवश्यकताओं का पालन करने से पहले या जब वह जानता है कि वह योग्य नहीं है या वह इसकी सदस्यता के लिए अयोग्य है, या वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने से वर्जित है, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में सदन में बैठता है और मतदान करता है तो वह प्रत्येक दिन के संबंध में उत्तरदायी होगा जिस दिन वह बैठता है या मतदान करता है और राज्य प्रदेश ऋण के रूप में पांच सौ रूपये के जुर्माना वसूल किया जाएगा।

45. अनुच्छेद 193 के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि जब कानून किसी कार्य को पूरा किए जाने के लिए कुछ परिणाम निर्धारित करता है, तो न्यायालय अतिरिक्त परिणाम नहीं निर्धारित कर सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया जाता है मध्य प्रदेश बनाम् पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान और विकास और अन्य[15] (2020) एससीसी ऑनलाईन एससी 687, के

मामले में जहां यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई कानून या सांविधिक नियम किसी कार्य या चूक के लिए जुर्माना निर्धारित करते हैं तो कोई अन्य जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, जिस पर कानून या नियमों में विचार नहीं किया गया है।

46. लेकिन हमें नहीं लगता है कि उपरोक्त निर्णय उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां किसी कार्य या चूक के कारण दंड के अलावा अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं। हालांकि यह सच है कि किसी विशेष कार्य या चूक के लिए कानून द्वारा निर्धारित दंड के अलावा कोई अन्य जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, उक्त सिद्धांत का दंड के अलावा अन्य ऐसे परिणामों के मामले में कोई औचित्य नहीं है जो इस तरह के कार्य या चूक के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं।

47. अनुच्छेद 193 गलती करने वाले सदस्य पर लगाए जाने वाले जुर्माने से संबंधित है जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। (i) या तो इससे पहले कि वह अनुच्छेद 188 के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने के पूर्व (ii) या जब वह जानता है कि वह सदस्यता की पात्रता नहीं रख ता (iii) या जब वह जानता है कि वह सदस्य होने के लिए अयोग्य है (iv) या जब वह जानता है कि उसे किसी कानून द्वारा उसे सदन में बैठने या मतदान करने से रोका गया है।

48. अनुच्छेद 193 के तहत निर्धारित जुर्माना के फलस्वरूप अयोग्यता जिसके लिए नागरिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 193 में निर्धारित जुर्माने के अलावा, सदस्य को प्राप्त विशेषाधिकारों पर रोक। एक बार जब कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उसका सदस्यता नहीं रह जाती है और उसकी सदस्यता के साथ उसके वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। यह किसी व्यक्ति के सदस्य नहीं होने का स्वाभाविक परिणाम है और यह परिणाम स्वतः होता है और अनुच्छेद 193 पर निर्भर नहीं होता है। इसलिए, हम अनुच्छेद 193 को इस हद तक नहीं बढ़ा सकते कि किसी सदस्य की अयोग्यता के स्वाभाविक परिणाम दिए गए दंड के कारण प्रभावित नहीं होंगे।

49. हालांकि, अनुच्छेद 193 और न्यायालय द्वारा इस संबंध में दी गई व्याख्या यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि क्या किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या चूक भी नष्ट हो जाएगी और यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में।

50. पशुपति नाथ सुकुल बनाम् नेम चंद्र जैन[16] ख्‘‘ 1 6 (1984) 2 एससीसी 404, मामले में यह प्रश्न विचारणीय था कि क्या कोई व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है, लेकिन जिसने अनुच्छेद 188 द्वारा निर्धारित शपथ नहीं ली या पुष्टि नहीं की है, राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव में उम्मीदवार के रूप में किसी व्यक्ति को वैध रूप से प्रभावित कर सकता है। यह सवाल अजीबोगरीब परिस्थितियों में उठा। उत्तरप्रदेश की विधानसभा का चुनाव मई, 1980 में हुआ था, और

निर्वाचित सदस्यों के नामों वाली अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत दिनांक 09.06.1980 को जारी की गई थी। निर्वाचित सदस्यों को अधिसूचित किया गया था कि वे दिनांक 27.06.1980 को बुलाए गए विधानसभा की बैठक के सत्र में अनुच्देद 188 के अंतर्गत निर्धारित शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस बीच, राज्यसभा में रिक्ति भरने के लिए चुनाव की अधिसूचना दिनांक 17.06.1980 को की गई। सदन के एक निर्वाचित सदस्य, जिसने अनुच्छेद 188 के तहत अभी तक शपथ नहीं ली थी, द्वारा राज्यसभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नाम के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई थी। आपत्ति को खारिज कर दिया गया और नामित उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया। इसलिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह सवाल इस अदालत के समक्ष एक चुनाव याचिका के रूप में आया।

51. अनुच्छेद 188 इस प्रकार हैः-

‘‘ 188. सदस्यों द्वारा शपथ या पुष्टि - किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य, सदन में अपनी सीट पर बैठने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा उस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या इसकी पुष्टि करेगा।

52. अनुच्छेद 188 की अनिवार्यता को देखते हुए, इस न्यायालय के समक्ष पशुपति नाथ सुकुल (उपरोक्त) मामले में यह तर्क दिया गया था कि अपनी सीट पर बैठने से पहले, एक निर्वाचित व्यक्ति को शपथ लेने या पुष्टि करने की आवश्यकता होती है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहा है, तो उसे वोट देने के हकदार सदस्य के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है। उक्त तर्क को रवारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिरिवत निर्णय दियाः-

हमारा विचार है कि एक निर्वाचित सदस्य जिसने शपथ नहीं ली है, लेकिन जिसका नाम अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रकाषित अधिसूचना में प्रदर्शित है, वह निर्वाचित सदस्य की सभी गैर-विधायी गतिविधियों में भाग ले सकता है। राज्यसभा के चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग भी वह कर सकता है। वर्तमान मामले में चूंकि यह विवादित नहीं है कि प्रस्तावक का नाम उस तारीरव से पहले शामिल किया गया था जिस दिन उसने अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रकाषित अधिसूचना में और अधिनियम की धारा 152 के तहत बनाए गए मतदाता सूची में एक उम्मीदवार के रूप में अपीलकर्ता का नाम प्रस्तावित किया था, यह माना जाना चाहिए कि नामांकन की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं थी। इसी कारण से अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी अधिसूचना में निर्वाचित सदस्यों के नाम वाली मतदाता सूची को भी अवैध नहीं माना जा सकता है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं0-1 ने वास्तविक कानूनी स्थिति को समझ लिया है क्योंकि उन्हें एक ऐसे निर्वाचक द्वारा एक उम्मीदवार के रूप में भी प्रस्तावित किया गया था, जिसने अभी तक शपथ या पुष्टि नहीं की थी।

53. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 193 के तहत दंड का दायित्व कम हो जाता है। निर्वाचित सदस्य द्वारा किया यगा कार्य, लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, को अवैध घोषित किए जाने की संभावना नहीं है। अधिनियम 188 के उल्लंघन वाले मामलों में इस तरह का मामला भी हो सकता है। यदि श्री अमित कुमार महतो को 23.03.2018 को दोपहर पूर्व में सजा सुनाई जाती और दोषी ठहराया जाता और फिर भी उन्होंने दोपहर में राज्यसभा के चुनाव में पूरी जानकारी के साथ मतदान किया होता तो स्थिति अलग होती।

54. अपीलार्थी के तर्क की भ्रांति कि जहां भी किसी कानून में ''तारीख' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसे 00:01 पूर्वा. से संबंधित समझा जाना चाहिए, को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम इसे विपरीत स्थिति में लागू करते हैं। यदि एक काल्पनिक स्थिति में दोषसिद्धि और सजा दोपहर में हुई हो और श्री अमित कुमार महतो ने दोपहर में अपना वोट डाला हो, पराजित उम्मीदवार यह तर्क नहीं दे सकता कि मतदान 00:01 सुबह पर हुआ माना जाना चाहिए।

55. किसी भी मामले में यह सिद्धांत कि अधिकारियों ने वास्तव में अपने अपेक्षित विभागीय अधिकार की सीमा के अंतर्गत जनता या अन्य व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए बिना किसी स्वार्थ के अपने दायित्व का निर्वाह किया, आमतौर पर वैध और बाध्यकारी माने जाते हैं जैसे कि वे अधिकारियों के कानून सम्मत कार्य थे। पुलिन बिहारी दास और अन्य बनाम् किंग एम्परर[17] ख्'' 1 7 (1912) 15 कैल।एलजे 517, मामले में व्यक्त इस तथ्य को न्यायालय द्वारा उद्धृत किया गया। गोकाराजू रंगाराजू बनाम् आंध्र प्रदेष राज्य[18] ख्(1981) 3 एससीसी 132, मामले में जब एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जिसकी नियुक्ति को न्यायालय द्वारा बाद में अमान्य घोषित किया गया था, घोषित निर्णयों की वैधता के बारे में सवाल उठा। अदालत ने बताया कि वास्तविक रूप (डी फैक्टो) का सिद्धांत अच्छी समझ, ठोस नीति और व्यावहारिक धयीयीक्ता पर आधारित है और इसका उद्देष्य सार्वजनिक और निजी शरारतो की रोकथाम और सार्वजनिक और निजी हित की सुरक्षा करना है। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है कि यह सिद्धांत अंतहीन भ्रम और अनावश्यक अराजकता से बचाता है।

56. पुनः पुष्पदेवी एम. जटिया बनाम् एम. एल. वधावन, अपर सचिव, भारत सरकार और अन्य[19] ख्(1987) 3 एससीसी 367, मामले में इस अदालत ने दोहराया वास्तविक रूप का सिद्धांत अनावश्यक भ्रम और अंतहीन शरारत को रोकने के सार्वजनिक नीति के लिए आवष्यक है। इस अदालत ने यह फैसला सुनाया ''जहां कानून के तहत कोई कार्यालय मौजूद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पदधारी की नियुक्ति कैसे की जाती है, जहां तक उसके कृत्यों की वैधता का संबंध है''। इसलिए जब तक वह कार्यालय के प्रतीक चिन्ह धारण किए है और इसके अधिकार एवं दायित्व का अनुपालन करता है, तब तक उसके द्वारा किए गए कृत्यों को इस न्यायालय द्वारा मान्य माना गया था।

57.	बी. आर. कपूर मामले में इस अदालत ने वास्तविक रूप से सिद्धांत को मुरव्यमंत्री जिसकी नियुक्ति पहले दिन से अमान्य मानी गई थी, द्वारा किए गए सभी कृत्यों को वैध घोषित करने के संदर्भ में लागू किया।

उक्त निर्णय का पैराग्राफ 57 इस प्रकार हैः

''हम जानते हैं कि दूसरा प्रतिवादी मुरव्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं ले सकता था और इस तरह से काम करना जारी नहीं रख सकता था, इस प्रकार के निष्कर्ष के गंभीर परिणाम होंगे। इसका मतलब न केवल यह होगा कि 14 मई, 2001 से राज्य में कोई वैध रूप से मुरव्यमंत्री नियुक्त नहीं हुआ है। जब दूसरे प्रतिवादी ने शपथ ली थी, लेकिन यह भी कि राज्य में वैध रूप से नियुक्त कोई मंत्री परिषद नहीं है, चूंकि दूसरे प्रतिवादी की सिफारिश पर मंत्री परिषद का गठन किया गया था। इसका मतलब यह भी होगा कि 14 मई, 2001 से तमिलनाडु सरकार के सभी अधिनियम संदिग्ध हो जाएंगे। इन परिणामों को कम करने के लिए और राज्य के प्रषासन और उसके लोगों के हित में, जिन्होंने इस आधार पर कार्य किया होगा कि नियुक्तियां कानूनी और वैध थीं, हम वास्तविकता (डी फैक्टो) सिद्धांत को लागू करते, की प्रस्तावना करते हुए घोषित करते हैं कि ऐसी कार्य जो 14 मई, 2011 से आज तक किए गए हैं, दूसरे प्रतिवादी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा और राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं, कानूनी और वैध हैं और उस आदेश के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगंे, जिसे हम अब पारित करने का प्रस्ताव करते है।''

58.	अतः श्री अमित कुमार महतो द्वारा 23.03.2018 को सुबह 9:15 बजे डाले गए वोट को उसी दिन दोपहर 2:30 बजे आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के कारण अमान्य माना जाए ऐसा स्वीकार करना संभव नहीं है।यह निष्कर्ष तर्क की एक अन्य प्रक्रिया के माध्यम से भी निकाला जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 191(1) में अयोग्यता के पांच अलग-अलग आधारों का विवरण हैं। (i) पहली अनुसूची में निर्दिष्ट लाभ का पद धारण करना (ii) मानसिक अस्वस्थता, जो एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित की गई हो (iii) अविमुक्त दिवालियापन (iv) भारत की नागरिकता का अभाव या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता का अधिग्रहण और (v) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्यता।

59.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) में आने वाली अभिव्यक्ति ''तारीख'' का तात्पर्य का प्रभाव अयोग्यता की उपरोक्त घटनाओं में से किसी एक के होने की तारीरव के तात्पर्य पर पड़ेगा।

60.	इस मामले में अनुच्छेद 191 (1)(ई) के संदर्भ में धारा 8 (3) में आने वाली अभिव्यक्ति ''तारीख'' की व्याख्या करना अपीलार्थी के लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन हमें यह देरवना होगा कि क्या यह पूरी तरह से अनुच्छेद 191 (1) के संदर्भ में प्रासंगिक होगा, हो सकता है ऐसा न

हो। यदि अनुच्छेद 191 के रवंड (1) के उप-रवंड (क) से (घ) तक प्रत्येक के साथ मिलान किया जाए तो हम पाएंगे कि अपीलार्थी द्वारा दी गई व्यरव्या मान्य नहीं रहेगी। जूनियर हेनरी आर टाउन बनाम मार्क ईजनर[20] 245 यूएस। 418,मामले में न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने संविधान में एक शब्द की संरचना के साथ-साथ एक कानून के निर्माण के संदर्भ में पाया।

''एक शब्द एक ठोस निर्जीव, पारदर्शी और अपरिवर्तित वस्तु नहीं है, यह एक जीवित प्राणी की त्वचा है और जिस परिस्थितियों और टाई में इसका उपयोग किया जाता है, उसके अनुसार इसकेे रंग और कथ्य में बहुत अंतर हो सकता है''

61. अतः पहले मुद्दे पर हम मानते हैं कि श्री अमित कुमार महतो द्वारा दिनांक 23.03.2018 को सुबह 9:15 बजे डाला गया वोट एक वैध वोट के रूप में सही माना गया था। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो इसका तात्पर्य होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर को सुबह 9:15 बजे यह दूरदर्षिता होनी चाहिए थी कि दोपहर में आपराधिक मामले का परिणाम आएगा या चुनाव आयोग को ऐसा कार्य करने की शक्ति प्रदान करना जो अंतहीन भ्रम और अनावश्यक अराजकता पैदा करेगी।

62. पहले मुद्दे के हमारे उपरोक्त जवाब को देखते हुए, दूसरा मुद्दा विचारणीय नहीं रह जाता है। इसलिए, 2020 की सिविल अपील सं0-611 रवारिज की जाती है। 2020 की सिविल अपील सं0-2159 की अनुमति है, उच्च न्यायालय द्वारा तैयार मुद्दे संरव्या- 2, 3 और 5 पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को निरस्त किया जाता है, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.... भारत के मुरव्य न्यायाधीष

(एस. ए. बोबडे)

.... न्यायमूर्ति

(ए. एस. बोपन्ना)

.... न्यायमूर्ति

(वी. रामसुब्रमनियम)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|